



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनिरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

एसपीएमसीआईएल/सत./03/09/1467

दिनांक : 30.03.2011

परिपत्र

विषय :- शिकायतों का निपटान।

शिकायतों के निवारण से संबंधित दिशा-निर्देश दिनांक 03.11.2009 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी संबंधितों को कड़े अनुपालन हेतु अधिसूचित किए गए थे। सतर्कता अनुभाग द्वारा यह देखा गया है कि कुछ इकाईयों में दिशा-निर्देशों का सही तरीके से अनुपालन नहीं हो रहा है :-

- (i) सतर्कता दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए शिकायतें प्रथमतः मुख्य सतर्कता अधिकारी को नहीं भेजी जा रही है।
- (ii) शिकायतों की प्रारम्भिक जांच/पूछताछ सीधे ही प्रारम्भ की जाती है।
- (iii) प्रारम्भिक जांच/पूछताछ के पूर्ण होने पर मुख्य सतर्कता अधिकारी से प्रथम स्तर की सलाह नहीं ली जा रही है।
- (iv) अनुशासनिक जांच आदि पूर्ण होने पर मुख्य सतर्कता अधिकारी से दूसरे स्तर की सलाह नहीं ली जा रही है।

2. शिकायत निवारण से संबंधित दिनांक 03.11.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं0 एसपीएमसीआईएल/सत./3/09/03 की प्रति सभी को कड़े अनुपालन हेतु पुनः प्रचालित की जाती है। सभी संबंधित इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हेतु ध्यान रखें। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशों की अनदेखी जारी रहती है तो प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा सतर्कता दृष्टिकोण से देखा जाएगा।

3. इस परिपत्र का यथासंभव व्यापक प्रचार किया जाए तथा सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए। इस परिपत्र को इकाई की वेबसाइट पर भी डाल देना चाहिए तथा अनुभागीय सूचना पटल पर भी लगा देना चाहिए।

4. इसे मुख्य सतर्कता अधिकारी, भाप्रमुमुनिनिलि के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न : उपरोक्त

(ए.के.रे)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी

सभी महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष
(टकसालें/मुद्रणालय/कागज कारखाना)
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि.

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के कार्यपालक सचिव।
2. निदेशक (तक.)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (मा.सं)/मुख्य सतर्कता अधिकारी।
3. सभी महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक (निगम मुख्यालय)।
4. प्रबंधक (राभा)।
5. सभी सतर्कता अधिकारी (निगम मुख्यालय/इकाईयां)।
6. सूचना पटल।